आपराजिक कादून सुपार जागरूकता परियोजना

सहि वेवसाइटक सदेश्भ गृह मंत्रालय द्वारा गठित फौजदारी कानून में सुधार हेतू समितिक संदर्भ मे टिप्पणी के संग्रहीत कय प्रकाशित करब अहि।

समितिक अपिदेश अस्पष्ट अधिइ प्रतीत होइत अछि जे समितिक उद्देश्य भारतक फौजदारी कानून मे दूरगामी परिवर्तन करबाक छैक।

देशक प्रत्येक व्यक्ति जे अपराण से प्रभावित अथवा प्रतिवादी आ' शुद,रूपे शांतिपूर्ण जीवन नियहि करय चाहैत अदि, हुनका पर एकर शंभीर प्रभाव पड़लैक।

सामात्म व्यक्ति के आपराधिक न्याय प्रणाली विभिन्न रूपे प्रभावित करना एका दुष्प्रभाव विशेष रु च्यार्मिक अल्पसंख्यक , गरीब, दलित, आदिवासी समुदाय पर प जिनका पुलिठिया हिंसा, दीर्घकालीन विचाराधीन कैदी , कठोर सना आ परिया कानूनी प्रतिनिधित्वक सामना करय पत हैन्ह | स्त्त गण, लगिक , लैंगिक अल्पत व्यक के यौन आप्पारित हिताकई चलते आपराधिक न्याय प्रणालीदास कारगर सहायता नटि भेटैत छैन्ह।

हमरा सन कियो पर - वारकम समाज में हाशिघा पर रहनियार - एहि कानूनी घुप्पारक व्यापक प्रभाव पड़त | तें इ अत्यावश्यक अदि-जे एकरा सर्वागीण रूपे विरूपित कएल जाय ।

एहि वेवसाइटक उपयोग रहन धुपार प्रक्रिया हैं संबंपित पतलाक विवेचना हेतु करबाक अदि ।

एहि पृट पर उपरोक्त समितिक योजा आ' कार्यशैली से संबंधित प्रमुख आपत्रिक संक्षिप्त विवरण देल जॉइन अदि। आपत्ति प्रमुख बिंद निम्नलिलित अदित

- समितिक प्रतितिप्पिलहीन संरचना
- अपवर्जनात्मक पणाली
- अस्पष्ट कार्य पद्पति
- प्रनावलीक सारूप

संकुचित समय सीमा आगू क मा रहि विषय में सम्यक विवरण प्रस्तुत आदि जेकरा बिना कानूनी प्रशिक्षण के कियो बुक सर्वेत थ्यि | रहि प्रकारे र जनहितक मुसा बनि सदैत अछि ।

ओनातऽ समितिक व्यक्त उद्देश्य संवैधानिक मूल्य के प्राथमिकता देत नागरिक, सामुदाधिक आ राष्ट्रीय सुरक्षा के सुप्पारक प्राध्यान से मजबूती देताम अदि, मुदा र क्रियाकलाप गर्तमान में बेटर नमावह समय मे शुरू कएल गेल अदि।

देशवासी सम्पति वैखिक महामारी कोविन पीडित एथि एल सप्तम मे साकार पारा दुरगामी सुपार प्रलवित कएल गेल जका स्पष्ट प्रभाव नागरिकक श्रम , परिवेश आ' जमीन अधिकार पर पड़तैक।

संगति का सारा कार्यकत्ता, धात्र , अल्पसंख्यक आ' शैक्षणिक व्यक्ति के चुनिंदा कठोर आपराधिक कानून यथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 आ' गैरकानूनी भातिविधि रोकथामा अधिनियम 1969 दारा उलीद्रित कयरल अधि ।

एहि पृष्ठभूमि मे अलावरमक एक में उपरोकन समिति द्वारा फौजदारी कान सुपार अप्पिकतम पारदशिता आ' जबाबदेहीपूर्ण होम नाटि त तिच्यक्षता आ'त्यापक मूल्य सुनिश्चित करल जा सके।

निम्नलिखित विवरणक आलोक मे इ संभावना दामिला निर्वाह पनि रूपं कर सकत -

1. अस्पष्टता -

(क) गठित मेलाक बार प्तमिति के संदर्मित प्रलाका के सावजनिक प्रकाशित नहि कएल गेल अदि | फलस्वरूप, समितिक कार्य आ' सिफारिशक सीमा चिकितना अदि
(ख) परामकि प्रक्रिया प्रे प्राप्त जानकारी के प्रकाशित नहि कएल गेल अदि समितिक अंतिम रिपोर्ट मै गलत सूचना आ' विकृति निवारण हेतु एन केनाम आवश्यक है ।

2. समयसीमा -
(क) समिति कोविड - 19 वैश्विक नटामारी कालालण्ड में स्थापित करल गेल अदि मुक्त राज्य अमेरिका आ बानीलक बार भारत मे कोरोना वामरप्तक सनीधिक मामला सक्रिय आदि वन्यति मातीम नागरिक के अनेकों नकारात्मक परिणाम स जुमय परत दे जाहि नै सार्वजनिक स्वास्थय सुविपाद बुनियादी हांचा पा मारी बाब आ' वेरोजगारी क बालदा शामिल अदि रहि परिप्रेक्ष्य मे हितप्पारकगण सँ गहन भागीदारीय संगामा क्षीण आदि

(ख) वेवसाइटक मुताबिक समितिक उद्देश्य आपराधिक कानून में सुधार सिफारिश के नाम दे जाहि ने मूल , प्रमाण आप्पारित एवं प्रक्रियात्मक काबून सान्निहित आदि एहि सम श्रेणी में विशिष्ट व्यापकता आदि

उदाहरण हेतु - मूल कानूनक अन्तरति विचारणीय अदि जे अपराप के केना प्रभावित करल जाय, केहल आचरण के आपराधिक मानल जाम, गैरइरादता अपराणी के दंडित केलाय, कोन परिस्थिति में व्यक्ति अपराध का प्रयाप्त लेल उतर पायी मत , जाल कियो दोषी करार कएल जात प्रथि तन राज्य कोत रूपे मामला निपटारा कल , अपशप लिप्त भेला पर प्रतिवादी के केना बी कारल जाय , जातीम संहिता 1860 के कोने-कोन पानाषा पंशोपित एल जाय , निष्क्रियता के केता हित कएल जाम , आइपीसी क अन्तरति अपराम के कोन आचाए पर वशीकत कएल जाय , इत्यादि।

इ तीन पटक मात्र एक श्रेणी आदि- जेकर पुनरावलोकन समिति छह प्रशनावली क क्रम में करन। मुद्दा, सम्पूर्ण परामर्शी अभ्यास करीब तीन मास - 4 जुलाई 2020 से 9 अक्टूबर 2020 तक - मे सम्पन होयब निधातीत अहि ।

समिति छह प्रमावलीक जबाब प्रतुत काबा लेल साच्यास्ति (overlapping) समय सीमा निष्पति केने ऐद जाहिमे 300 से अधिक प्रल नप सकेन।

एते कम समय में सम्पूर्म आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तनक सिफारिश के नाम अव्यवहारिक आ' अवांदनीच घयत सामान्य परिस्थिति ने एन विस्तृत अभ्यात केनाम दुरूह होइत बैंक , सखा महामारी काल मे प्रायः असंभव होवत ।

पदिला वर एन मिलत आपराधिक न्याय प्रणाली में प्यारक सिफारिश पलिप्रय समिति द्वारा कएल गेल अका रिपोर्ट हाई वर्ष में तैयार मड सकल।

प्रशनावली –

(क) इ व्यापक अदि उदाहरणार्थ, छह प्रशनावली मे पहिल ने 46 प्रशन अहि
प्रशनावली सन्दर्भक निक आ' सुधारक आवश्यकता बतबैत कोनो मादिर्शन नदि कएल गेल ऐक
(ख) प्रश्नावलीक उल्लेख त्रुटिपू अदि- अर्घ अस्पष्ट अथवा अपुष्ट अदित कि
प्रश्न निराप्पा अनुमान आश्रित अदि कानूनी शिक्षा के अनाव में भाषाक अर्थ बुनाय काटिन मदि- निम्नलिखित उदहारण स्थिति स्पष्ट करें -

पाहिल प्रश्नावलीक एका प्रश्न है - भारतीम दंड संहिता के संदर्भ में अपराप्पक श्री अवप्पारणा आ' प्रकृति के कोन

सिधान्न मानि कर सख्त देमता 'अपशप्पक प्रतिपादन हेतु मार्गदर्शन केल हेबाक चाई।
बिना कानूनी ज्ञात के 'सल देमता' सिमाना बुनाम कानी दिन रहि सिरपालन प्रति अपन दृष्टिकोण नदि कलौने अहि।
सामान्यतया सरन्न चित्व' अपाप्प ओध अपराप्य होई जाहि ने कनकि मशा अत्रासंगिक होई है। उदाहण रू, चेक बात भेला पा ओकरा जारी कानिहाए के बरी नहि करल जाय कि रहि काणे कि- ओकर मंशा चेक के सादर केनाम नहिल रहि प्रकारे, ओवरस्पीड चालक के एहि काणे दूट नहि देल जा सकेद जे ओकर मंशा गति सीमाक पार वाहन चलाबक नहि लैक |

कानून के विप्पा ने 'सहन दामित्व'क अवधारणाक कोनों स्पष्ट मा नाहिक यदि एक अपराध पतिवादी द्वारा भूलवश नहि दि- दराप्तन केल गेल तऽ किदु व्यक्ति ओहि के 'सत राष' कहताह | संगहि किन अन्य व्यक्तिक मत न्ह जे कानून शास्त दाधिव'क सिप्पान्त अपनबैत प्रतिवादी के दस्ति काल जे दोषपूर्ण रूप कृत्य नहि करत हल

समितिक 'सल दामित्व' अवधारणा ऋटिपूर्ण आ' नामक अधिा एकरा अमान्य केल जा सकैप | दंऽक प्रावप्पात परिस्थितिजन्य अथवा प्रतिवादीक शाआप्पात काबाम चाटी इ स्पष्ट रूपे नहि बताओल गेल अधि संगहि हो विचारणम अदिजे कोनों शोप्य कार्यक निक समितिक वेवसाइट पर नहि कएल गेल अदि आक्षिप्त इ निकष इंगित होय जे 'सल अपराष' भारतीय दंड संहिता मे जोडनाय आवश्यक अधि

(ग) समिति क्रमवार पलावली जारी कार - पहिले पैतुस्थिति संबंधित , ओकर बाद प्रक्रिया संबंधी आ अन मे साक्ष्य संबंधित कि तीनू एक दोहर मॅप्चालन में आवदप अदित, ते क्रमवार से प्रसावली प्रकाशित केनाम व्यवहारिक नहि होयत | सामान्यतया , मूल आपरापिक कानून अपराण के

परिभाषित करैछ, प्रक्रियात्मक आओर प्रमाणिक कानून के संबंध अदालत मे अपराम केना साबित ऐयत राहि

हितधारक नन अपराष्प ओबाक अथवा मौजूदा अपराध में संशोलन धबधी सूझाव हि शर्त पर देबय चाहता कि परीक्षणका निष्पक्षताक गारंटी देवाला पक्रियात्मक आओ प्रमाणिक सुरक्षा उपायक प्तमात करत जाम वस्तुस्थिति, पक्रिया भाकोट सबूत के विषय मे पृथक-पृथक सिफारिश केनाय मुक्तिसंगत नहि होयत।
4. प्रक्रिया:
समिति सँ संबधित जानकारी मुख्य रूपे नसाइट पर प्रकाशित कएल गेल अदिर अंगरेजी भाषा मे अदि | अतएव समिति में पराप्रा में हुन भागीदारी नम कित जितका आनलाइन संसाप्पत उपलपह, जे एटि माध्यम से संवाद से निपुण इथि आ' जिनका हि नाषा क ज्ञान | भारत एक बाआधी तया कम इन्टरनेट धनत्व वाला देश है। नाही हेतु एहि व्यवस्था में भागीदारी से अत्यधिक आबादी वर्जित मय जायत।
स्थितिक भयावहता एहि सै वुभल जा सकैछ जे अवेकानेक भारतीय छात्र महामारी काल मैं ऑनलाइन कक्षाक उपयोग करबा में असमर्थाक कारण आत्महत्या कय नेने छथि।

(ड) संरचना: (क) समिति मे सिर्फ पाँच सयस इयिट्रसभ कियो पूछकिालिक नौकरी पेशा सै सम्बंदध हथि।

समिति के अपन कार्य संकुचित समयसीमा मे सम्पल केनाप कहते बिना पूकिालिक सरस्थर अनाव मे ओ अपन दामित्वपूर्ण कार्य सक्षम ऑआर लोकतांत्रिक रूपें निवहन नहि कम पाओता

(ख) र प्रतीत घेत अदि ने समिति मे नस्लीय , लांगक, पार्मिक

आओर अल्पसंख्यक आति कोनों प्रतिनिधि नहि देथ श्रमिक न तथा विकलांग नुदाय सँ खेये कोनों प्रतिनिधि नहि । प्रतिनिधित्व मात्र उत्तरी भातक सीमित भौगोलिक क्षेत्रक व्यक्तिक
दै
नागरिक समाज संगठनका कोनों प्रतिनिपिल नहि | इ संगठन सम एल नागीक भनूह हेतु कार्यकरैत छथि जे पुलिप्त द्वारा प्रताडित आ' न्यूनतम संरक्षित थि जै लोकति आपराप्पिक कानून ब विशेष रूप प्रभावित पथि, हुनझी म एहि परामशी प्रक्रिया मे शामिल कयला सलोक तांत्रिक वैप्पता मजबूत होपत , संवाहिशुप्पार प्रक्रिया प्रभावी आर सापक होचत
उसाधणार्थ, समिति सकात घ्या (ऑनर किलिंग) के एक विशिष्ठ अपराध
- मालीप पेड संहिता अन्नति – के प्रस्ताव पर लोकमत आमंत्रित केले अदि जाहि मे एहि हेतु दऽ शामिल अति

समार हत्या आनतौर पर आति, पर्म अथवा लिंग जाधारित सत्ता संरचना के अक्षुण्ण रखबाक हेतु कएल जाइत क रविव्यवस्था अथवा कुरीतिक विश्लेषकगणक सुसंगत विचार आ' सिफारिश आपातील सुपार मात्र सार्थक पहल होयत

(ग) भारतीय विपि आयोग कानूनक विवादास्पद मामलाक परीक्षण एवं तदु - परान्त आमजन से व्यापक विचार-विमर्श कर तुप्पार हेतु सिफारिश कपाक उद्देश्य सँ स्यापित कएल गेल अदि र आयोगक सम्मति के बिना एकरा बाहरी समिति के रहल गमीर आ' महत्वपूर्ण दापिल देबाक कोनों पुतसंगत औचित्य नहि हैक ।

उपरोक्त आलोचना र आलोक में अनिवार्य आदि जे फौजदारी कानून सुप्पाट हेतु गठित समिति तत्काल प्रभाव से काम काना बंद कर दिए

पदि आपराधिक कानून में सुप्पार लागू कएल जाइत अदित इ कार्य एकट प्रतिनिधि समिति द्वारा पपप्ति परामर्श, सुसंगत तरीका, समावेशी आओर पार दशी प्रक्रिया के अनुपालन करत कएल जाय- सेहो जावनि दि कोविड - 19 महामारीक विनाशकारी प्रभावक समाप्त भेला पर |